


सचिव (रा.भा.) / वि.वि.च./2017/06

राजभाषा विभाग हेतु
मार्गदर्शिका

1. कार्यक्रमों, योजनाओं, कार्यों पर गहन विचार मंथन व संवाद हो ताकि हर पहलू का आलोचनात्मक परीक्षण हो सके।
2. पूर्ण टीम भावना से कार्य हो तथा सब एक-दूसरे को प्रोत्साहित कर अच्छे कार्य व्यवहार व स्वानुशासन का प्रदर्शन करें।
3. राजभाषा हिन्दी का क्षेत्र व्यापक है। यह सरकारी कामकाज से लेकर शिक्षा, विज्ञान, तकनीकों व उद्यम तक फैला है। अतः इस दिशा में गुणात्मक प्रगति हेतु मौलिक, सृजनात्मक विचारों व उनके व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य संपादन की पद्धति विकसित हो।
4. हर कार्य छोटा या बड़ा, महत्वपूर्ण है तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों को निष्ठा व गुणवत्ता के साथ निबटाना सर्वप्रमुख है।
5. विभाग में एक नई संस्कृति व वातावरण का निर्माण हो जो आगे व्यावहारिक, ठोस व गुणात्मक परिणाम दे सके।


(प्रभास कुमार झा)
सचिव (राजभाषा)
राजभाषा विभाग

परिचालन :

1. राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी।
2. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के सभी अधिकारी व कर्मचारी।
3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के सभी अधिकारी व कर्मचारी।
4. संसदीय राजभाषा समिति के सभी अधिकारी व कर्मचारी।
5. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी व कर्मचारी।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के सभी अधिकारी व कर्मचारी।

7. राष्ट्रीय तकनीकी निदेशक (एन.आइ.टी). जहाँ 36 राजभाषा विभागों की
दफ्तरों पर 36 नई मं. हैं।